लैंगिक असमानता का समाजशास्त्रीय अध्ययन

ऋतु
प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग
रा0स्ना0महा0गोपेश्वर,
जिला चमोली।

लिंग असमानता का तात्पर्य लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरूषों में विभेद से होता है।

पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक जैवकीय तथ्य हैं, यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती हैं, तों उसे लैंगिक असमानता कहा जाता हैं, (सिंह वी. एन. 2010:137,13)।

संसार का कोई भी समाज ऐसा नही हैं, जिसमें सभी लोग एक दूसरे के समान हो। असमानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं जैविक आदि सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है, विभिन्न व्यक्ति केवल शारीरिक व मानसिक रूप में एक दूसरे से असमान नही होते हैं, बल्कि वें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक प्रस्थिति व जीवन में मिलने वाले विभिन्न अवसरो जाति, प्रजाति लिग प्रभुत्व तथा आयु के आधार पर भी एक दूसरे से असमान होते हैं।

असमानता एक ऐशी दशा हैं, जिसमें समाज या राज्य द्वारा प्रत्यक्ष से विभिन्न समूहों के प्रति भेदभाव का व्यवहार पाया जाता हैं, जैसे किसी समाज के नियम कुछ समूहो को दूसरो की तुलना में जन्म, आयु, जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म के आधार पर कम या ज्यादा अधिकार प्रदान किया जाता हैं (पाठक, रामचन्द्र,2008:293)।

भारतीय समाज जो कि एक पुरूष प्रधान समाज के रूप में जाना व पहचाना जाता हैं, वहां पुरूषो को ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्राप्त है, जिससे भारतीय समाज में महिलाओं की मनोदशा भी पुरूषों के अधीन हैं, भारतीय परम्परागत समाज में लड़को की तुलना में लड़कियों को अभिशाप माना जाना हैं, इसके साथ ही साथ उन्हे सम्पत्ति, शिक्षा एवं अन्य कार्यो में पूरी तरह से आजादी प्रदान नही की गयी हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. लैंगिक असमानता का महिलाओं पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. लैंगिक असमानता के उत्तरदायी कारको का विश्लेषण करना।

अध्ययन क्षेत्र व शोध विधि

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक शोध प्रणाली व द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित हैं, जिसमें सम्पूर्ण भारतीय समाज की महिलायें हैं।

लैंगिक असमानता का महिलाओं पर प्रभाव

जनांकिकी के आधार पर असमानता –जनांकिकी दृष्टि से देखे तो वर्ष 1901 में कुल

जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जिसमें महिला की जनसंख्या लगभग 46% थी, वही 2001 में यह जनसंख्या के 47% के आस पास हैं, स्त्री पुरूष लिंगानुपात की बात की जाये तो जहॉ 1911 में यह अनुपात 1000/964 तथा 2011 में 940 ही रह गया हैं, शिशुओं के कुपोषण स्तर में भी यही अन्तर दर्शनीय हैं बाल–शिशु के कुपोषण दर जहॉ 28.57% हैं, वही कन्या शिशुओं की कुपोषण दर 71.43% है।

पुरूषों की तुलना में महिलाओं के कम अनुपात का कारण उनकी आर्थिक संख्या में मृत्यु होना माना गया हैं, महिलाओं के साथ किए जाने वाले भेदभाव के कारण ऐसा प्रतीत होता हैं। इस भेदभाव के कारण जरूरी बाते जैसे– भोजन पोषण तथा स्वास्थ्य देखभाल तक महिलाओं की पहुंच पुरूषों के समान नही हो पाती, जिसमें पुरूष मृत्यु की तुलना में महिला की मृत्यु अधिक होती हैं (गोपालन सरला, 2001:38,142)।

जन्म के समय असमानता

लिंग भेदभाव के कारण प्रत्येक पितृसत्तात्मक परिवार का यह लक्षण हैं कि वहॉ पुरूष की प्रधानता होती हैं और नारी का अवमूल्यन होता हैं, भारतीय समाज में इसका रूप अत्यंत कठोर है, नारी का जन्म ही अपने में अभिशाप हैं, पुत्र मुक्तिदाता बुढ़ापे का सहारा और घर की पूँजी हैं, जबकि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्ज हैं, इसलिए जन्म से ही लिंग भेदभाव शुरू हो जाता हैं, इसके लालन–पालन के तौर तरीके बिल्कुल अलग–अलग हैं।

लड़के–लड़की में जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता हैं, जन्म से बालक–बालिका के सामाजिकरण की प्रक्रिया इस तरह से संचालित हाती हैं, कि बालक को साहसिक, बौद्धिक आक्रामक कार्यो के प्रति ढ़ालनें का स्वरूप बनाया जाता हैं, जबकि बालिका को क्षमा भय, लज्जा, सहनशीलता, सहिष्णुता, नमनीयता के गुणों को आत्मसात करने की शिक्षा–दीक्षा प्रदान की जाती हैं (पाण्डेय, तेजस्कर,2009:273)।

खान–पान सम्बन्धो असमानता

बालिकाओं को स्तनपान कराने तथा भोजन खिलानें में लड़की की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता हैं, परिवार में पुरूषो के खाने के बाद महिलाओं का खाना एक भेदभाव का मामला हैं, गरीबी से त्रस्त परिवारो में इससे महिला कुपोषण से ज्यादा शिकार होती हैं।

1980 के दशक के अध्ययन से पता चला हैं कि जीवन के शुरू के दो सालो में खाना देने में तथा चिकित्सा देखभाल में सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता हैं, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर दो गुना चिकित्सा व्यय किया जाता हैं, लड़की को आर्थिक उपयोगो खाना भी दिया जाता हैं, जिसमे अधिक पोषक तत्व भी होते है, भेदभाव के नमूने कई बार गर्भधारण करने तथा छोटे परिवारों में भी साफ दिखने को मिलते हैं, (गोपालन, सरला,2001:84,85)।

शिक्षा में असमानता

सामान्य अर्थ में शिक्षा और विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा एक तरह की आर्थिक सुरक्षा हैं, उच्चतर शिक्षा में तकनीकी और व्यवसायिक योग्यताएं शामिल हैं, अगर उच्चतर शिक्षा तक पहुंचे सुनिश्चित हो तो आर्थिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जा सकती हैं। शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क के साथ आत्मा पर भी प्रभाव ड़ालती हैं, जिससे सामाजिक साहचर्य एवं सदभाव विकसित होता हैं।

भारत में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही हैं, महिला साक्षरता पर पुरूषो की साक्षरता से काफी पीछे हैं, साक्षरता दर भारत की जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार पुरूषो की साक्षरता दर

82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% हैं (गोपालन, सरला, 2001:38)।

भारत में पुरूषो की तुलना में महिलाओं का शैक्षणिक अनुपात काफी निम्न हैं, जिसका प्रमुख कारण हैं, कि परम्परागत समाज में बालिकाओं के प्रवेश अध्ययन तथा विकास पर उचित ध्यान नही दिया जाता हैं। ग्रामीण जनमानस की अशिक्षा अज्ञानता तथा रूढ़ियाँ बालिका शिक्षा में अवरोधक हैं। विचित्र बात हैं कि ग्रामों में लड़की को पराये घर का ईधन कहकर उपेक्षित किया जाता हैं। परिवार के मुखिया की सकीर्ण, मानसिकता के कारण पुत्र की तुलना में पुत्री को कम महत्व दिया जाता हैं (पाण्डेय, तेजस्कर, 2009:266,782)।

वैवाहिक असमानता

वैवाहिक क्षेत्रो में भी पुरूषो एवं महिलाओं में असमानता देखने को मिलती हैं, एक ओर जहॉ पुरूषों को अपने जीवन साथी को चुनने का पूरी तरह से अधिकार प्राप्त हैं, वही महिलाओं को अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता हैं।

रोजगार के क्षेत्र में असमानता

जहॉ एक ओर पुरूषों को अपनें द्वारा अर्जित किए गए धन पर उनका स्वंय का स्वामित्व होता हैं और उसे खर्च करने की उन्हे पूरी आजादी प्राप्त हैं, वहॉ महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरूषो के ऊपर निर्भर रहना पड़ता हैं, यदि महिलायें व्यवसाय, नौकरी इत्यादि के माध्यम से धर्नाजन करती हैं, तो भी ऐसे धन पर विवाह से पूर्व माता–पिता एवं विवाह के बाद पति का अधिकार होता हैं। महिलाओं से पुरूषों की अपेक्षा अधिक कार्य लिए जाते हैं, जिन परिवारों की महिलाएं आठ से दस घण्टे तक नौकरी या अन्य जगहों पर कार्य करती हैं, वे घर आने के उपरांत बच्चों का पालन–पोषण, रसोई एवं अन्य कार्यो को उन्हे करना पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता हैं, कि उनके शारीरिक स्तर मे गिरावट आने लगी हैं (पाठक, रामचन्द्र, 2008:295)।

निर्णय प्रक्रिया में असमानता

सामाजिक संरचना में पुरूष वर्ग का बर्चस्व स्थापित हैं, इसलिए महिलाओं की निर्णय क्षमता को परिवार, समाज तथा विविध क्षेत्रों में प्रतिष्ठ प्राप्त नही होती हैं। वह मात्र पुरूष की अनुगामिनी बनकर रह जाती हैं, यह मानसिक मनोवृत्ति महिला विकास में बाधक सिद्ध होती हैं कि शिक्षित परिवार भी महिलाओं को निर्णय में भागीदार नही बनाते हैं। इस विभेदमूलक व्यवस्था से महिला वर्ग में आत्मा समान तथा आत्म विश्वास का भाव पैदा नहीं हो पाता हैं (तिवारी, आर.पी. एवं शुक्ला, डी.पी.,2015:54,55)।

लैंगिक असमानता के उत्तरदायी कारण

1. पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था
2. संयुक्त परिवार
3. सामाजिक कुप्रथाये–जैसे बाल–विवाह, प्रर्दा–प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था
5. स्त्रियों में शिक्षा का अभाव
6. महिलाओ में पायी जाने वाली सहनशीलता,(पाठक,रामचन्द्र,2008:290,29)

संवैधानिक प्रयास–भारत में स्त्रियों की परिस्थति में सुधार हेतु किए गए संवैधानिक प्रयास

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरूषो को राजनीतिक आर्थिक और

सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता हैं।

2. अनुच्छेद 15 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता हैं।
3. अनुच्छेद 16 सभो नागरिकों को रोजगार का समान अवसर प्रदान होता है।
4. अनुच्छेद 19 सुरक्षा तथा रोजगार का समान कार्य के लिए समान वेतन भी स्थापित करता हैं, (सिंह, वी.एन.,2010:264,266)।

महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सुझाव–

1. महिलाओं की स्थिति में पूर्ण सुधार लानें एवं पूर्ण समानता की स्थापना के लिए स्त्रियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।
2. सम्पूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए (पाण्डेय, तेजस्कर, 2009:273,277)।

निष्कर्ष

मूल रूप में कहा जाये तो ''नारी ही सम्पूर्ण सृष्टि का केन्द्र बिन्दु हैं वह पुरूषों की प्रेरणा हैं तथा उसकी जन्मदात्री माँ हैं, मुनष्य नें अगर वरदान स्वरूप धरती को नारी में स्वीकार किया हैं, उसका हदृय इतना विशाल हैं कि सम्पूर्ण प्राणी जगत उसमें समा सकते हैं, वह समाज की संस्थापिका हैं, नारी में पवन सी चंचलता, हिमालय सी दृढ़ता और समुद्र सी गंभीरता होती हैं, इसीलिए संस्कृत में कहा गया हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : अर्थात जहॉ नारियों की पूजा होती हैं अर्थात जहॉ उन्हे श्रृद्धा, आदर, प्रेम और विश्वास दिया जाता हैं, वास्तविक रूप में वहॉ देवता निवास करते हैं।

महिलाएं और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं, दोनो एक दूसरे के पूरक हैं ये जीवन रूपी रहा के ऐसे पहिए हैं, जिनसे यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती हैं, परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनो की ही भूमिका समान रूप में महत्वपूर्ण रही हैं, किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाठक, रामचन्द, 2008 ''सामाजिक समस्याएँ'' प्रकाशन, विजय प्रकाशन मन्दिर वाराणसी।
2. पाण्डेय, तेजस्कर एवं ओजस्कर पाण्डेय, 2009 ''समाज कार्य'' सम्पादक डॉ उपेन्द्र भारत बुक सेन्टर लखनऊ।
3. सिंह, वी0एन0एवं जनमेजय सिंह, 2010 ''आधुनिक एवं नारीवाद सशक्तिकरण'' प्रकाशन रावत पब्लिकेशन्स जयपुर।
4. तिवारी,आर.पी.,एवं शुक्ला,डी.पी., 2015 ''भारतीय नारी वर्तमान समस्यायें और भावी समाधान'' प्रकाशन,ए.पी.एच.पब्लिशिंग कारपोरेशन, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002
5. गोपालन, सरला 2001, समानता की अपूर्ण कार्य–भारत में महिलाओं की स्थिति, राष्ट्रीय महिला, भारत सरकार।

Copyright © 2016, Ritu. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.